न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
07/2025	14.01.2025	12.06.2025

अनवान

1. भैरूलाल पिता शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेड़ी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. माधवलाल पिता हीरालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी खड़ बागनिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
3. लेहरूलाल पिता भीमा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. चुन्नीबाई पत्नी शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. झुमाबाई पत्नी रामा जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. देवीलाल पिता शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. नाराणी पुत्री शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. कंकु पुत्री नाथु जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. कालु पुत्र मोती जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. काली पत्नी नारायण जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. गंगा पुत्री नाथु जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
9. चान्दी पत्नी चुन्नीलाल जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. जेराम पुत्र भुवाना जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. जसु पुत्री नाथु जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. नाथी पुत्री गजरी जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. नारायण पुत्र रामा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. प्रकाश पुत्र नारायण जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. बसन्ती पुत्री नाथु जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

16. भगवान पुत्र दीपा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. भंवरलाल पुत्र दीपा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
18. मगनीराम पुत्र हजारी जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. मांगीलाल पुत्र भुवाना जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. माया पुत्री चुन्नीलाल जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. माया पुत्री नारायण जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. मोहनलाल पुत्र रामा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. रम्भा पत्नी रामा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ। (विलोपित)
24. रामेश्वर पुत्र किशना जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. शंकर पुत्र भुवाना जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. शान्ति पुत्री रामा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
27. सन्तोष पुत्री नारायण जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
28. सुरेश पुत्र हजारी जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
29. शोकीन पुत्र नारायण जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
30. हगामी पुत्री रामा जाति बंजारा आयु वयस्क निवासी हापाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी — प्रार्थीगण

एकतरफा — अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हापाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 92 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862 कुल किता 09 कुल रकबा 3.23 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ़

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ़

खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7, 9 से 22 एवं 24 से 30 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से पूर्व में दिनांक 15.04.2025 को विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 8, 23 के विरूद्ध आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नही चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा हापाखेडी पटवार हल्का रूपाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 92 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862 कुल किता 09 कुल रकबा 3.23 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 उमण्ड को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश [illegible])
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन